कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 360 / FP/UK/Others/33662/2018 :देहरादूनः दिनांकः 02 अगस्त, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषयः–जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद, टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक 101/12–1 दिनांक 18.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.11.2021 के अनुपालन में सूचना प्रेषित की गयी है। प्रेषित पत्र का अवलोकन करने पर निम्नानुसार अपूर्णतायें पायी गयी हैं:–

1. बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में अभी भी ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट–I पैरा–H में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया है।
2. बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में Solid waste management हेतु न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु मानक/तकनीकी आधार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हैं।
3. प्रकरण में वांछित बिन्दुओं की सूचनाये/प्रमाण पत्र छाया प्रति में प्रेषित किये गये हैं, मूल में प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण संबधित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये अपनी संस्तुति सहित सूचना/आख्या इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन **03 मूल प्रतियों** में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 360 / FP/UK/Others/33662/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण कर सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

02/08/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।